

सं. ए-31011/05/2013-सीएलएस-आई

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिनांकित 3 मार्च, 2014

कार्यालय आदेश सं. 05/2014

विषय: केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों की तैनाती / स्थानांतरण

राष्ट्रपति केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के निम्नलिखित जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) के अधिकारियों को पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से रू. 6600/- ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 के अनुरूप (रू. 15,600-39,100) में पदोन्नत किए जाने पर जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में सीनियर टाइम स्केल (एसटीएस) में नियुक्त करते हैं, जैसा प्रत्येक के सामने उल्लेख किया गया है:

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कुमारी)	नियुक्ति का वर्तमान स्थान	नियुक्ति
1.	टी. के. पांडा	सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कोलकाता	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर
2.	पी. के. लुकास	सहायक श्रम कल्याण आयुक्त(केन्द्रीय), एडीई, बेंगलौर	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), तिरुवनंतपुरम
3.	एन. एम. शेटी	सहायक श्रम कल्याण आयुक्त(के.), सीक्यूए(एल), बेंगलौर	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), वास्को
4.	एस. एस. शर्मा	सहायक कल्याण आयुक्त(के.), अजमेर	उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), मुख्यालय, डीजीएलडब्ल्यू मुख्यालय, नई दिल्ली
5.	एस. चक्रवर्ती	सहायक श्रम आयुक्त(के.), गुवाहाटी	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कोलकाता
6.	पी. गणेशन	सहायक श्रम कल्याण आयुक्त(के.), ईएफ, अवादी, चेन्नई	उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), आयुध निर्माणी, तिरुचीरापल्ली

7.	बी. खेमंडु	सहायक श्रम कल्याण आयुक्त(के.), सीक्यूए (टीएंडसी), कानपुर	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), राउरकेला
8.	पी. एस. फोघाट	सहायक श्रम कल्याण आयुक्त(के.), जीआईपी, मायापुरी, दिल्ली	उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार प्रेस, मिंटो रोड, नई दिल्ली
9.	वास देवी के. कुंदननी	सहायक श्रम कल्याण आयुक्त(के.), एसक्यूएई एंड एलपीआर खमारीया, जबलपुर	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), रायपुर
10.	ए. के. श्रीवास्तव	सहायक कल्याण आयुक्त(के.), करीमनगर	उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), कोलकाता
11.	राजा राम	सहायक श्रम आयुक्त(के.), अहमदाबाद	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), देहरादून
12.	एन. कृष्णा राव	सहायक श्रम कल्याण आयुक्त(के.), एचवीएफ, अवादी	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद
13.	एम. एस. मीणा	सहायक श्रम आयुक्त (के.), करनाल	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), चंडीगढ़
14.	ए. के. त्रेहन	सहायक श्रम कल्याण आयुक्त(के.), 509 आर्मी बेस वर्कशॉप, आगरा के	उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली
15.	जी. एस. दोरायबरु	एडब्ल्यूसी(के.), कार्मा	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), रांची
16.	सुनील कुमार	एएलसी(के.), शाहडोल	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मुम्बई
17.	आर. के. अग्रवाल	एएलसी(के.), इलाहबाद	उप निदेशक (आईआर/आईएमपी-1), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली

2. अधिकारी वेतन के निर्धारण पर एक वेतन वृद्धि के अनुदान का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगा क्योंकि उन्हें वेतन बैंड-3:, रूपए 15600-39100/- और ग्रेड वेतन रूपए 6600/- के समकक्ष वेतन में गैर-कार्यात्मक उन्नयन पहले ही प्रदान किया जा चुका है।

3. उपर्युक्त अधिकारियों की एसटीएस ग्रेड में पदोन्नित श्री बी. बी. सिंह सामन्था (सेवानिवृत्त) द्वारा माननीय कैट, गोवाहाटी के समक्ष दायर की गई ओ.ए. सं. 55/2011, श्री अजय कुमार (सेवानिवृत्त) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के समक्ष दायर डब्ल्यूपीसीटी सं. 15/2012 और श्री एम. धर्मराज द्वारा माननीय कैट, हैदराबाद के समक्ष दायर ओ.ए. सं. 240/2012 के अंतिम परिणाम की शर्त पर होगी।

5. इसके अलावा, सीएलएस के निम्नलिखित एसटीएस अधिकारियों का स्थानांतरण/तैनाती का तत्काल प्रभाव से आदेश दिया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	नियुक्ति का वर्तमान स्थान	नियुक्ति
1.	कमलजीत सिंह	एएलडब्ल्यूसी(के.), ओएफ, मुरादनगर	उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)
2.	वी. मुथु मणीकम	डीएलडब्ल्यूसी (के.), ओएफ, वारागांव	उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)
3.	जी. सी. मजूमदार	एडब्ल्यूसी(के.), कोलकाता	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)
4.	वी. श्रीनिवास	डीएलडब्ल्यूसी(के.), सीएडी, पुलगांव	उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)
5.	अल्लू के. प्रताप,	डीएलडब्ल्यूसी (सी), एसबीसी, विशाखापत्तनम	उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)
6.	के.के.एच.एम. श्याम सुंदर	डीएलडब्ल्यूसी (के.), जीसीएफ, जबलपुर	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त. (सेंट्रल)
7.	एन. एस. वी. अरीवरसन	डीएलडब्ल्यूसी(के.), ओसीएफ, अवादी	उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), 512, आर्मी बेस वर्कशॉप, किरकी, पुणे

6. सभी संबंधित संगठनों से अनुरोध किया जाता है कि वे अधिकारियों को तत्काल कार्यभार मुक्त कर दें ताकि वे नई तैनाती के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें। संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि उनकी तैनाती के संबंधित संगठनों के माध्यम से, शीघ्रतः, अपनी कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट के बारे में इस मंत्रालय को सूचित करें। यदि, अधिकारी 30 दिन की अवधि के भीतर अपने पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता, यह मान लिया जाएगा कि वह एसटीएस ग्रेड में पदोन्नति लेने का इच्छुक नहीं है और इसके बाद एक वर्ष के लिए वर्तमान वर्ष की रिक्तियों को भरने हेतु पदोन्नति से बाहर कर दिया जाएगा। अधिकारी,

अगले उच्चतर ग्रेड में प्रदान किए जाने वाले गैर कार्यात्मक उन्नयन का लाभ आहिरत करेगा यदि वह पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाता क्योंकि उच्चतर ग्रेड में नियमित पदोन्नति के बदले में पूर्व में एनएफयू का लाभ दिया गया था।

7. सभी अधिकारी, जो श्री वी. मुथु मणीकम को छोड़कर, जिन्होंने व्यक्तिगत/चिकित्सा आधार पर स्थानांतरण की मांग की थी, प्रासंगिक नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/ कार्यभार ग्रहण करने के लिए समयावधि के पात्र हैं।

8. श्री जी. सी. मजूमदार और कमलजीत सिंह के इस मंत्रालय के क्रमशः दिनांक 23/08/2013 के कार्यालय आदेश सं. 12/2013 और 01/01/2014 के कार्यालय आदेश सं. 22/2013 के जरिए एसटीएस ग्रेड में आदेशित पदोन्नति एसटीएस ग्रेड में पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी जैसा उपर्युक्त पैरा 5 में दिया गया है।

9. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(बाबू चेरीअन)

भारत सरकार के उप सचिव

टैलीफैक्स: 23753079

वितरण:-

1. संबंधित अधिकारी
2. संबंधित प्रतिष्ठान/संगठन
3. एलईएम के निजी सचिव/राज्य मंत्री(एल एंड ई) के निजी सचिव/पीएसओ के सचिव(एल एंड ई)/सहायक सचिव(एल एंड ई) के निजी सचिव/डीजीएलडब्ल्यू/संयुक्त सचिव(एपी)
4. सीएलसी(के.)/ प्रशासन-1/एसई धारा, सीएलसी(के.) कार्यालय, नई दिल्ली
5. निदेशक(सीआर)/डीएस(बीएस)/डीएस(एएफ)
6. सीएलएस-II धारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
7. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल/ कार्यालय आदेश बंडल/अतिरिक्त प्रतियां